न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा,

केम्प कोर्ट बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. खुर्शीद मोहम्मद पुत्र स्व. हाजी मोहम्मद		1. अब्दुल गफूर पुत्र स्व. इब्राहीम के कायम मुकाम :–
2. मोहम्मद हुसैन पुत्र स्व. हाजी मोहम्मद जातियान मुसलमान निवासी बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा		1/1 सुल्ताना पत्नी अब्दुल गफूर
3. मोहम्मद ईस्माईल पुत्र अल्लारख		1/2 आसी पुत्री अब्दुल गफूर पत्नी रफीक जातियान मुसलमान निवासी खटीक मोहल्ला, बिलाड़ा तहसील
4. मरियम पत्नी स्व. अलारख जातियान मुसलमान निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर		2. अब्दुल सलाम पुत्र स्व. इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		3. अब्दुल सत्तार पुत्र स्व इब्राहीम के कायम मुकाम :–
		3/1 सरीफा पत्नी स्व. अ. सत्तार
		3/2 अब्दुल फयाज पुत्र अ.सत्तार
		3/3 अब्दुल समद पुत्र अ.सत्तार
		3/4 अब्दुल सिकन्दर पुत्र अ. सत्तार
		3/5 अब्दुल जावेद पुत्र अ.सत्तार
		3/6 जेबू पुत्री स्व. अ. सत्तार जातियान मुसलमान निवासीगण मस्जिद के पास दादावाड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
		4. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल हफीज
		5. राईना पत्नी अब्दुल हफीज जातियान मुसलमान निवासीगण सुभाषघाट, तालाब के पास, मौमीन कॉलोनी पीपाड़शहर तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर
		6. खातून पुत्री स्व. इब्राहीम पत्नी अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर
		7. बिस्मिला पुत्री स्व. इब्राहीम पत्नी कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी सिलावटो का मोहल्ला पीपाड़शहर, जिला जोधपुर
		8. जाकीर पुत्र शाबीर हुसैन
		9. कमरूदीन पुत्र शाबीर हुसैन

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

10. रामेश्वरलाल पुत्र बच्छराज उर्फ पृथ्वीराज
11. गोविन्दराम पुत्र बच्छराज उर्फ पृथ्वीराज जातियान सोनी निवासीगण मोचीवाड़ा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
12. मिश्रीलाल पुत्र स्व. गोविन्दराम
13. श्रीमति रमादेवी पत्नी दयाराम
14. श्रीमति मोहनीदेवी पत्नी श्री धन्नाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा हाम्बड़ो की बावड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री एन.एस. सोढा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 10, 11 की ओर से श्री जी.एल. कंसारा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 9, 12 से 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 15 सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक :– 28.06.2017**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1631/6 रकबा 12 बीघा आयी हुयी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशावली अनुसार पक्षकारों के पूर्वज इब्राहीम जी थे। इब्राहीम जी के छः पुत्र हाजी मोहम्मद, अल्लारख, अब्दुल गफूर, अब्दुल सलाम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल हफीज तथा तीन पुत्रिया खातून, बिस्मिल्ला, शाबरा थे। जिनमें से हाजी मोहम्मद, अल्लारख, अब्दुल हफीज व शाबरा फौत हो चुके है, हाजी मोहम्मद का उतराधिकारी उसका पुत्र प्रार्थी संख्या 1 खुर्शीद मोहम्मद, प्रार्थी संख्या 2 मोहम्मद हुसैन तथा प्रार्थी संख्या3 नजमू उसकी पत्नी है। अल्लारख के उतराधिकारी उसका पुत्र प्रार्थी संख्या 4 मोहम्मद इस्माईल तथा प्रार्थी संख्या 5 मरीयम उसकी पत्नी है तथा अब्दुल हफीज के उतराधिकारी उसका पुत्र अप्रार्थी संख्या 4 अब्दुल रसीद तथा अप्रार्थी संख्या 5 राईना उसकी पत्नी है। इस प्रकार शाबरा के उतराधिकारी उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 8 जाकिर तथा अप्रार्थी संख्या 9 कमरूदीन है। मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 इब्राहीम जी के उतराधिकारी है। इस प्रकार दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/9 वॉ हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 से 3 का, तथा 1/9 वॉ हिस्सा प्रार्थी संख्या 4

सहायक कलेक्ट्र
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 5 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 का तथा 1/9 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 व 9 का उपरोक्त भूमि में जरिये उतराधिकार के तौर पर हक व हिस्सा है। ग्राम विलाड़ा चक संख्या 1 की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1631/6 रकबा 12 बीघा की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 कके पूर्वज इब्राहीम जी की थी, इब्राहीम जी के जीवनकाल में ही उसके दो पुत्र हाजी मोहम्मद तथा अल्लारख फौत हो गये थे, हाजी मोहम्मद व अल्लारख के बच्चे उस समय नावालिग थे तथा उनका लालन–पालन तथा भरण पोषण करने के लिये इब्राहीम जी अपने पेातो प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के साथ रहने लग गये। प्रार्थीगण ने ही उनके दादा इब्राहीम जी की वृद्धावस्था में सेवाचाकरी की। सेवाचाकरी से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण से बहुत नाराज रहने लग गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के मन में यह भ्रन्ति पैदा हो गयी थी कि इब्राहीम जी उक्त भूमि प्रार्थीगण को दे देगे, तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आपस में मिलकर एक सुनियोजित होकर षडयंत्र रचा और इब्राहीम जी को बहलाफुसलाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपने पक्ष में करवा ली। अप्रार्थी संख्या ने दिनांक 03.09.1991 को अवैध वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम का म्यूटेशन संख्या 2276 तहसीलदार बिलाडा से स्वीकृत करवा लिया, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा धोखे से करवाया गया वसीयतनामा की जानकारी हुयी तो प्रार्थीगण ने अवैध म्यूटेशन संख्या 2276 के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिस पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर ने अपील को खारिज कर दी, म्यूटेशन की प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, जिसके कारण पक्षकारों के अधिकार तय नही होते है। इस कारण प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा हेतु यह दावा पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का सयुक्त अविभाजित परिवार है। इब्राहीम जी की खातेदारी भूमि में प्रत्येक पक्षकार का 1/9 वॉ हिस्सा है, मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत विधि के अनुसार इब्राहीम जी का विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हक व हिस्सा बनता था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण तथा अप्राथीगण संख्या 4 से 9 को विवादग्रस्त भूमि से महरूम रखने की नियत से साजिश रचकर सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 03.09.1991 को अपने पक्ष का वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया, जबकि इब्राहीम जी को केवल 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि का

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

वसीयतनामा निष्पादित करने का अधिकार नही था। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में किया गया कथित वसीयतनामा दिनांक 03.09.1991 अवैध एवं शून्य है। अवैध एवं शून्य वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कोई अधिकार उत्पन्न नही हो सकते। उनको अपने हिस्से से ज्यादा भूमि की वसीयत करकने का अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने इब्राहीम जी को बहला फुसलाकर सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 03.09.1991 को अपने पक्ष का वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया जो वसीयत की गयी भूमि प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर व निष्प्रभावी है। इस प्रकार इब्राहीम जी ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का किया गया वसीयतनामा में प्रार्थीगण के अधिकार समाप्त नही हो सकते तथा वसीयतनामा दिनांक 03.09.1991 प्रार्थीगण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने एवं बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3, 10 से 14 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1631/6 रकबा 12 बीघा का बैचान, हस्तान्तरण आदि की कार्यवाही नही करे, न ही भूमि को किसी बैक आदि में रहन ही रखे, विवादग्रसत भूमि के मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से जवाब पेश किया गया अप्रार्थी संख्या 9, 12 से 14 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 10, 11 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने पर उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से जवाब के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इब्राहीम जी की कोई सेवाचाकरी नही की, न ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने कोई षडयंत्र बनाकर वसीयत ही करवायी। वसीयत स्व. इब्राहीम जी ने अपनी स्वच्छचित अवस्था में दिनांक 03.09.1991 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलाड़ा में पंजीयन करवायी एवं उक्त वसीयत पंजीयनसुदा होने के कारण स्व. इब्राहीम जी की मृत्यु पश्चात् वसीयत के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम से नामान्तरकरण भरा गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध भी प्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के विरूद्ध अपील पेश की थी। जो अपील दिनांक 19.03.2012 को खारीज कर दी गयी एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन संख्या 2276 दिनांक 05.09.1997 स्वीकृत किया गया है। जब तक रजिस्टर्ड वसीयत को

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवा दिया जाता तब तक कोई विधि सम्मत कार्यवाही नही चल सकती है। विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 10, 11 को बैचान की जा चुकी है जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। उक्त बैचान रजिस्ट्री को प्रार्थीगण ने कोई चेलेन्ज नही किया है, जिसके आधार पर यह दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा व काश्त नही है। रजिस्टर्ड वसीयत कतई शुन्य दस्तावेज की परिभाषा में नही आती है। अन्त में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओ को निर्णित करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला प्रकरण मे अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का सयुक्त अविभाजित परिवार है। इब्राहीम जी की खातेदारी भूमि में प्रत्येक पक्षकार का 1/9 वॉ हिस्सा है मुस्लिम विधि के वसीयत विधि के अनुसार इब्राहीम जी का विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हक व हिस्सा बनता था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 9 को विवादग्रस्त भूमि से महरूम रखने की नियत से साजिश रचकर सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 03.091991 को अपने पक्ष का वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया जबकि इब्राहीम जी को केवल 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि का वसीयतनामा निष्पादित करने का कोई अधिकार नही था। विवादग्रस्त भूमि पक्षकारों की पैतृक भूमि है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु का दावा पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या 10, 11 को भूमि का बैचान कर दिया है, अगर भूमि का आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी। अप्रार्थी संख्या 10, 11 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खण्डन नही किया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के अधिवक्ता ने बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में लिखे गये तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से बताया कि इब्राहीम जी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करवायी एवं उस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या 10, 11 को भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है। रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त कराये बीना प्रार्थीगण किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

सहायक कलेक्ट्र
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्तागण के विरोधाभाशी तर्को पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर विद्धमान दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1631/6 रकबा 12 बीघा की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पूर्वज इब्राहीम जी की थी। इब्राहीम जी के जीवनकाल में ही उसके दो पुत्र हाजी मोहम्मद तथा अल्लारख फौत हो गये थे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का सयुक्त अविभाजित परिवार है। इब्राहीम जी की खातेदारी भूमि में प्रत्येक पक्षकार का मुस्लिम विधि के वसीयत विधि के अनुसार कानूनी तौर पर हक बनता है। मुस्लिम विधि के वसीयत विधि के अनुसार इब्राहीम का विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हक व हिस्सा कानूनी तौर पर बनता था लेकिन इब्राहीम ने अपने हक व हिस्से की ज्यादा भूमि का वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में कर दिया है। जिसको लेकर प्रार्थीगण ने पैतृक भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु का दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। जो दावा साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारण होगा। तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उक्त प्रार्थना पत्र में उचित प्रतीत होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अगर भूमि का दौराने वाद आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण, रहन, मुन्तकिल कर दिया जायेगा तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को कारित होगी एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी ऐसी परिस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 3, 10 से 14 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1631/6 रकबा 12 बीघा का बैचान, हस्तान्तरण, रहन मुन्तकिल आदि नही करे। अप्रार्थी संख्या 15 विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनायी रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा